

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(2)स्था/मंत्रा/अभि/2023/ 405-414

जयपुर, दिनांक:- 24.02.2024

आदेश

अभियोजन निदेशालय के आदेश स. 3-6(1)स्था./मंत्रा./अभि/2015 राजकाज नं० 13511573 दिनांक 11.02.2025 द्वारा श्री भवानी शंकर शर्मा को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। श्री भवानी शंकर शर्मा का पदस्थापन लोकहित में कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, अलवर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर किया जाता है।

संबंधित अधिकारी उपरोक्त कर्मचारीगण की कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित कर्मचारी -----।
6. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर